

प्रेस- विज्ञप्तिथाना कोतवाली जीयनपुरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 27.02.2023 को उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शहीद पार्क नत्थुपुर के पास से समय 11.10 बजे अभियुक्त मो० आमिर पुत्र हसनैन निवासी ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ उपरोक्त गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु०अ०सं० 129/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु०अ०सं० 129/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास – मो० आमिर पुत्र हसनैन निवासी ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	129/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
2	195/2022	411,413 भादवि व 11 पशुक्रूरता अधिनियम	दोहरीघाट	मऊ
3	196/2022	3/25 आर्म्स एक्ट	दोहरीघाट	मऊ

बरामदगी – एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त - मो० आमिर पुत्र हसनैन निवासी ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –1. उ.नि. शंकर कुमार यादव का० आशु सिद्धिकी थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

थाना कोतवाली जीयनपुरवांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 15/08/2021 को मा० न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 156(3) जा०फौ० आवेदक रवीन्द्र नाथ उपाध्याय पुत्र स्व० भगवती उपाध्याय निवासी जमुआ हरीराम, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का बावत अभियुक्तों द्वारा कूटरचित खतौनी तैयार करके नायब तहसीलदार बिलरियागंज द्वारा स्थगन आदेश को छिपाकर बेईमानी के आशय से कपटपूर्क सदोष लाभ लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ कि प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं० 217/2021 धारा- 419/420/467/468/471 भादवि बनाम 1. सूबेदार यादव पुत्र शिवबहाल 2. कैलाश यादव उम्र पुत्र सकलदीप, साकिनान् मौजा- कादीपुर हरिकेश, थाना –कप्तानगंज, जनपद- आजमगढ़ 3. घनश्याम उपाध्याय उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र सत्येन्द्रनाथ उपाध्याय साकिन मैनूद्दीनपुर मु० जयरामपुर, थाना अतरौलिया, जनपद- आजमगढ़। 4. रामकोमल यादव उम्र करीब 66 वर्ष पुत्र शाहबली यादव साकिन भवनपुर, थाना-कप्तानगंज, जनपद- आजमगढ़ 5. उमेश यादव उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र अज्ञात, वसीका नवीस तहसील- सगडी, थाना-जीयनपुर, जनपद- आजमगढ़ पंजीकृत है जिसकी विवेचना व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 27/02/2023 को व०उ०नि० देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. रामकोमल यादव पुत्र शाहबली यादव साकिन भवनपुर, थाना-कप्तानगंज, जनपद- आजमगढ़ व 2. कैलाश यादव पुत्र सकलदीप, निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश, थाना –कप्तानगंज, जनपद- आजमगढ़ को अभियुक्तगण के घर से क्रमशः 4.00 बजे व 4.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु०अ०सं० 217/2021 धारा- 419/420/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रामकोमल यादव पुत्र शाहबली यादव साकिन भवनपुर, थाना-कप्तानगंज, जनपद- आजमगढ़
2. कैलाश यादव पुत्र सकलदीप, निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश, थाना –कप्तानगंज, जनपद- आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- 1- **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-** वादी श्री इन्दल पुत्र पलकधारी राम ग्राम सैदपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 26.2.23 को समय करीब 8 बजे सुबह मेरे ही गाँव के जमीनी विवाद (रास्ते का विवाद) को लेकर सुरेन्द्र पुत्र रामलखन राम, संदीप कुमार पुत्र गुलाब, तेजबहादुर पुत्र बद्रीराम मिलकर भद्दी-2 गाली गुप्ता देने लगे मना करने पर लात घुसा व लाठी डन्डे से बहुत बुरी तरह मारे पीटे जिससे मेरे सिर में गम्भीर चोट आयी और मौके पर ही बेहोश हो गये और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे।। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 75/23 धारा 323/504/506/308 भादवि बनाम 1.सुरेन्द्र पुत्र रामलखन राम 2.संदीप कुमार पुत्र गुलाब 3.तेजबहादुर पुत्र बद्रीराम साकिनान सैदपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।
- 2- **गिरफ्तारी की विवरण** – दिनांक- 27.02.2023 को उ0नि0 ओमप्रकाश नरायण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामलखन 2.संदीप पुत्र गुलाब सा0 सैदपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्तों के घर ग्राम समय करीब 10.45 बजे नियमानुसार बाजास बाकायदा गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी मौके से बरामद की गयी।
- 3- **पंजीकृत अभियोग-** मु.अ.सं. 75/23 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
- 4- **आपराधिक इतिहास-मुकदमा उपरोक्त**
- 5- **गिरफ्तार अभियुक्त –**
 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामलखन
 2. संदीप पुत्र गुलाब सा0 सैदपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी – घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 ओमप्रकाश नरायण सिंह मय हमराह इलियास अली थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना- तरवां

किशोरी के साथ छेड़खानी में एक अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 26.02.23 वादिनी थाना तरवां जनपद ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की नाबालिक लड़की उम्र 17 वर्ष शौच के लिये जाते समय अभियुक्त प्रकाश चौहान पुत्र स्व0 बिहारी चौहान निवासी रस्तीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा छेड़खानी की गयी, जिसके सम्बन्ध थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 45/23 धारा 354 क, भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब i ,3(2)5 क SC/ST ACT पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी लालगंज महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दि0 27.02.23 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 प्रकाश चौहान पुत्र स्व0 बिहारी चौहान निवासी रस्तीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को बोंगरिया तिराहे से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0-45/23 धारा 354 क, भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब i ,3(2)5 क SC/ST ACT एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त 1. प्रकाश चौहान पुत्र स्व0 बिहारी चौहान निवासी रस्तीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह का0 सुनील पाल व का0 मनोज सरोज थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना – रौनापार

धर्म परिवर्तन कराने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – वादी श्री अवनीश कुमार सिंह S/O श्री विनोद प्रताप सिंह निवासी ग्राम बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 26.02.2023 को रामानन्द साहनी पुत्र स्व0 बसन्त साहनी निवासी बातन के घर में प्रतिवादियों द्वारा लोगो को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 50/23 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1.पन्नालाल गौड़ पुत्र काशीनाथ गौड़ (पादरी) निवासी ग्राम नवाबाद थाना मड़ियाहु जिला जौनपुर आदि 08 नफर व कुछ सहयोगियों (अज्ञात) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण..... उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा आज दिनांक 27.02.23 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.पन्नालाल गौड़ पुत्र काशीनाथ गौड़ (पादरी) निवासी ग्राम नवाबाद थाना मड़ियाहु जिला जौनपुर 2.रामानन्द साहनी पुत्र स्व0

बसन्त साहनी निवासी बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 3.सुमित्रा देवी पत्नी सज्जन निषाद सा0 नहरूमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 4.कमलावती देवी पत्नी रामानन्द निषाद निवासी बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 5.सीमा देवी पत्नी दिनेश सिंह निवासी खैरघाट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 6.संगीता देवी पत्नी रोहित गुप्ता निवासी खैरघाट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 7.नीलम निषाद पुत्री रामानन्द निषाद 8.आयुष साहनी पुत्र रामानन्द साहनी निवासीगण ग्राम बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ग्राम चाँदपट्टी करखिया मोड़ से समय करीब 10.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 50/23 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 50/23 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 153/17 धारा 143/188 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ विरुद्ध पन्नालाल गौड़ पुत्र काशीनाथ गौड़ (पादरी)
निवासी ग्राम नवाबाद थाना मड़ियाहु जिला जौनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.पन्नालाल गौड़ पुत्र काशीनाथ गौड़ (पादरी) निवासी ग्राम नवाबाद थाना मड़ियाहु जिला जौनपुर
2. रामानन्द साहनी पुत्र स्व0 बसन्त साहनी निवासी बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. सुमित्रा देवी पत्नी सज्जन निषाद सा0 नहरूमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
4. कमलावती देवी पत्नी रामानन्द निषाद निवासी बातन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
5. सीमा देवी पत्नी दिनेश सिंह निवासी खैरघाट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
6. संगीता देवी पत्नी रोहित गुप्ता निवासी खैरघाट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
7. नीलम निषाद पुत्री रामानन्द निषाद निवासी ग्राम बातन, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
8. आयुष साहनी पुत्र रामानन्द साहनी निवासी ग्राम बातन, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी:-

1- कुल 23 अदद धार्मिक पुस्तके तथा 2300 रुपये नगद 04 लिफाफों में 2.धार्मिक सदस्यता के कार्ड व खाली लिफाफे
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- सिधारी

एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये का जुर्माना

➡दिनांक- 27.03.2008 को तत्कालीन थानाध्यक्ष सिधारी दीपक शर्मा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बेलईसा रेलवे क्रॉसिंग के पास से अभियुक्त रविन्द्र यादव पुत्र नथुनी यादव निवासी हरूवासा थाना गोपालगंज, जनपद गोपालगंज, बिहार के कब्जे बोलेरो गाड़ी में 1कुन्तल 48 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था।

➡जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 291/2008 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट बनाम अभियुक्त रविन्द्र यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

➡आज दिनांक- 27.02.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त रविन्द्र यादव पुत्र नथुनी यादव निवासी हरूवासा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज, बिहार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।